

प्रेस- विज्ञप्ति Handout

प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है, तो इसके लिए वह विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्थान के संपादक को पत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देता है। प्रकाशन संस्थान के द्वारा इस आलेख का प्रकाशन हू-ब-हू बिना किसी संशोधन के प्रकाशित किया जाता है। इस आलेख को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं।

सरकार समय-समय पर सरकारी आदेश, प्रस्ताव अथवा निर्णय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने के लिए भेजती है, जिसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। प्रेस-विज्ञप्ति सामान्यतः सरकारी केन्द्रीय कार्यालय से जारी की जाती है। समाचार पत्र का सम्पादक प्रकाशन के दौरान 'प्रेस-विज्ञप्ति' में किसी भी प्रकार की काट-छाँट नहीं कर सकता। प्रेस-विज्ञप्ति में कई बार जारी करने की तिथि भी लिख दी जाती है।

संदेश प्रकाशित होने के लिए-

- संदेश/निर्णयों में लोगों की दिलचस्पी होनी चाहिए।
- जानकारी वर्तमान और ताजा होना चाहिए।
- जानकारी कुछ सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी होनी चाहिए।

15. प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique)

जब सरकार किसी निर्णय, प्रस्ताव आदेश आदि को व्यापक रूप से प्रसारित करना चाहती है तो वह उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेज देती है। प्रेस विज्ञप्तियां प्रत्येक अवसर पर जारी न होकर विशेष अवसरों पर ही जारी होती हैं। सामान्यतः ये निम्नलिखित स्थितियों में जारी की जाती हैं—

- (i) सरकार द्वारा किसी विषय पर अपनी नीति अथवा निर्णय की घोषणा के लिए।
- (ii) विदेशों के साथ अपने कूटनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धों की घोषणा के लिए।
- (iii) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सिफारिशों की घोषणा के लिए।
- (iv) दो देशों के प्रमुख (Heads of the State) प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री आदि के मध्य हुई बातचीत तथा निर्णयों की जानकारी देने के लिए।

प्रेस विज्ञप्तियां सामान्यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। इनमें एक प्रकार से सरकारी बयान रहता है। इसीलिए ये पर्याप्त सावधानीपूर्वक तैयार की जाती हैं—प्रत्येक शब्द इस प्रकार नाप-तोल कर रखा जाता है जिससे अभीप्सित अर्थ से इतर कोई दूसरा अर्थ ध्वनित न होने पाये—राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टि से उसका कोई अन्य अर्थ न निकाला जा सके। प्रेस विज्ञप्ति में प्रेषक, प्रेषिती, संबोधन, स्वनिर्देश आदि नहीं होते। इसका कारण यह है कि ये किसी एक को संबोधित नहीं होती। ये सूचना विभाग में तैयार न होकर सरकार के सम्बन्धित विभाग में किसी योग्य एवं अनुभवी अधिकारी की देखरेख में तैयार होती हैं। फिर इन्हें सूचना-विभाग के पास प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ भेज दिया जाता है। सूचना विभाग इसे समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों के पास प्रकाशनार्थ भेज देता है। सूचना विभाग का अधिकारी इसे प्रेस को भेजते समय अपने हस्ताक्षर करने के स्थान पर उस पर एक टिप्पणी लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देता है। समाचार पत्रों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना—यहां तक कि उसका संक्षिप्तीकरण किये बिना—पूरे का पूरा ही छापें।

प्रेस विज्ञप्ति का ढांचा

1. प्रकाशन सम्बन्धी निर्देश—प्रेस विज्ञप्ति के आलेख में सर्वप्रथम सबसे ऊपर इस बात का निर्देश रहता है कि उसे कब प्रकाशित किया जाये। सामान्यतः यह निर्देश नकारात्मक होता है और इस रूप में लिखा जाता है—(तारीख 14 अगस्त, 1992 को सायंकाल 6 बजे से पहले प्रकाशित न किया जाये।)

2. रचना-रूप का उल्लेख—प्रकाशन सम्बन्धी निर्देश के बाद मोटे अक्षरों में रचना-रूप का उल्लेख किया जाता है यथा—प्रेस विज्ञप्ति।

3. विषय या शीर्षक का उल्लेख—इसके बाद आलेख का विषय/शीर्षक देते हैं। शीर्षक देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह संक्षिप्त से संक्षिप्त हो।

4. आदेश—प्रेस विज्ञप्ति के अन्त में यह आदेश रहता है कि इसे प्रधान सूचना अधिकारी के पास भेज दिया जाये जिससे वह इसे जारी कर सके।

5. हस्ताक्षर एवं पदनाम—आदेश के बाद डाई ओर विज्ञप्ति जारी करने वाले के हस्ताक्षर और उसके नीचे पद नाम दिया जाता है।

6. मंत्रालय का नाम, स्थान और तिथि—डाई ओर की पहली पंक्ति में मंत्रालय का नाम तथा दूसरी पंक्ति में पहले स्थान एवं उसके बाद तिथि लिखते हैं। कभी-कभी स्थान एवं तिथि ऊपर दे दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका उल्लेख नीचे नहीं किया जाता।

(तारीख 30 जून, 1971 के सायंकाल 6 बजे प्रकाशित/प्रसारित न किया जाये)

प्रेस विज्ञप्ति

भारत और बंगला देश के बीच राजनयिक सम्बन्ध

भारत सरकार और बंगला देश सरकार दूतावास के स्तर पर पारस्परिक राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सहमत हो गई हैं। उन्हें इस बात का विश्वास है कि इससे दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में और अधिक दृढ़ता आयेगी जिससे दोनों देशों को लाभ होगा।

प्रधान सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार नई दिल्ली को विज्ञप्ति निकालने तथा विस्तृत प्रचार के लिए प्रेषित।

मदन मोहन
सचिव, भारत सरकार

परराष्ट्र मंत्रालय
नई दिल्ली,
दिनांक : 25 जून, 1971

सोमवार २ अप्रैल १९८८ के समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किश्त देने हेतु।

केन्द्रीय कर्मचारियों को १ जनवरी १९८८ से महंगाई भत्ते की एक किश्त और देने का निश्चय किया गया है। यह महंगाई भत्ता प्राइस इण्डेक्स वृद्धि के कारण दिया जा रहा है जो इस प्रकार होगा—

२००० रु०	वेतन तक	५ प्रतिशत वृद्धि
२००० से ३०००	वेतन तक	४ प्रतिशत वृद्धि
३००० से ५०००	वेतन तक	३ प्रतिशत वृद्धि
५००० रु० से ऊपर		१ $\frac{१}{२}$ प्रतिशत वृद्धि

१ जनवरी से मई तक की राशि भविष्य निधि में जमा की जाएगी।

सुशील गुप्ता
सचिव, भारत सरकार

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली